दिनांक : 09.10.2017

15230
9/10/17

सेवा में,

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय
   दिल्ली

2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब और हरियाणा हाय कोर्ट
   चंडीगढ़

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) 9/10/17
   लुधियाना

4. **Superintendent to District and Sessions Judge,**
   Ludhiana

5. **Superintendent Central Jail**
   New Central Jail, Tajpur Road,
   Samrala Road, Ludhiana – 141008
   Tel. 0161-2660106

विषय: Medical Examination से संबंधित मामले में शिकायत किये जाने के बावजूद ऑर्डर ना दिये जाने व आपसी मिली-भगत से Medical Examination करके झूठी रिपोर्ट बनाने की आशंका के मामले में उचित कार्यवाही करने हेतु।

माननीय जज साहब,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना -141007 Mob. 79735-71454) हूँ मेरे Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर को दिनांक 19.08.2017 को पुलिस द्वारा अपहरण करके लिया गया था जिसकी शिकायत मैंने उसी दिन सेशन कोर्ट को दी थी, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को पुलिस व CIA द्वारा बुरी तरह मारा-पीटा गया था जिससे उनसे चलते भी नहीं बन रहा था और वे चप्पल भी नहीं पहन पा रहे थे।

उन्हें बिना मैडिकल किये कोर्ट में पेश किया गया था जहाँ से मैडिकल के लिये भेजा गया मगर मैडिकल के समय कुछ बोलने नहीं दिया गया और साधारण रिपोर्ट बनाकर जेल भेज दिया गया जब उनकी हालत काफी खराब लगी तब मेरे द्वारा शिकायत दी गई (जो साथ में संलग्न है) मगर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही या ऑर्डर जज द्वारा नहीं निकाला गया। जब दो शिकायतें ईमेल से मोनिका क्रांतिवीर द्वारा सेशन कोर्ट को दी गई (जो साथ में

है) तब जाकर 26.09.2017 को डॉक्टर द्वारा केवल मेरे बेटे मुकेश का ही Medical Examination किया गया जबकि लकी गुप्ता उर्फ़ जयहिंद की हालत और भी अधिक खराब है| दोनों ही Unfit condition में हैं, मेरे बेटे ने अपने जेल से लिखे पत्र द्वारा उसकी खुद की स्थिती की जानकारी दी है जो चिंताजनक है|

उस पत्र के अनुसार हमारी उपस्थिती के बिना केवल सरकारी महकमे के इन काले अंग्रेजों के द्वारा Medical Examination करवाया गया तो Medical Examination करवाने का कोई मतलब नहीं है केवल बे-इंसाफी ही होगी क्योंकि पुलिस को बचाने के लिये पहले भी डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी| अतः हमारे लोगों की उपस्थिती में ही Medical Examination करवाया जाये जिससे सच्चाई सामने आये|

ज्ञात हो कि, जेल सुप्रिंटेंडेंट का लकी गुप्ता उर्फ़ जयहिंद का Medical Examination कराये जाने के आदेश पहले भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पारित किये लेकिन लकी गुप्ता उर्फ़ जयहिंद का Medical Examination नहीं करवाया गया|

निवेदन है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिये जायें एवं age of injury व Injury Report तुरंत कोर्ट में दाखिल करें|

चंद्रकला ठाकुर

इंसाफ के इंतजार में,
Whistle Blower व आज के भगत सिंह की माँ
चंद्रकला ठाकुर
Mob. 79735-71454

संलग्न दस्तावेज़:

1. Medical Examination के लिये श्री. सुशील बोध/Duty Magistrate, JMFC, लुधियाना को दी गई शिकायत
2. Whistle Blower मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ़ जयहिंद का Medical Examination के बारे में जेल से लिखा पत्र
3. Medical Examination के लिये दी गई शिकायत पर कोई कार्यवाही ना होने पर सोनिका क्रांतिवीर द्वारा सेशन कोर्ट को ईमेल से दी गई शिकायत
4. Medical Examination का ऑर्डर और सीनियर मैडिकल ऑफिसर (सेंट्रल जेल, लुधियाना) द्वारा जेल सुप्रिंटेंडेंट को दी गई रिपोर्ट (टाईप किया हुआ)

भारतीय डाक
India Post

RL NAGTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP592945054IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:SUPDTT CENTRAL JAIL ,NEW CENTRAL JAIL
    LUDHIANA, PIN:141008
From:CHANDRAKALA THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:54
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

(Duplicate) RL NAGTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP592945070IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:THE REGISTRAR,PH & HARYANA COURT
    Chandigarh G.P.O., PIN:160001
From:CHANDRAKALA THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:54
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL NAGTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP592945067IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:THE REGISTRAR,SUPREME COURT OF IND
    DELHI, PIN:110001
From:CHANDRAKALA THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:59
<<Track on www.indiapost.gov.in>>